शिक्षा निदेशालय उच्चतर शिक्षा

18 JAN 2020

संख्याः—शिक्षा—एच(21)ए(1)पी.ऐस—16/2019—सामान्य निर्देश
निदेशालय (उच्चतर शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश।
दिनांक : शिमला—171001 18 जनवरी, 2020

समस्त उपनिदेशक (उच्चतर शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश।

विषयः— निजी स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020—21 में लिये जाने वाले फीस व फंड का विवरण नोटिस बोर्ड पर दर्शाने बारे।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में इस निदेशालय के पत्र संख्याः सम् दिनांक 05.12.2019 की निरन्तरता में आपको निर्देश दिये जाते है कि आप हिमाचल प्रदेश में संचालित समस्त (हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली व काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से संबद्वता प्राप्त) निजी स्कूलों को निम्नलिखित निर्देश जारी करें:—

1. समस्त निजी स्कूल प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों/मुख्याध्यापकों को शिक्षक अभिभावक संघ **(PTA)** के माध्यम से आगामी शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने से पूर्व समस्त अभिभावको को आमन्त्रित कर पाठशाला में सामान्य सभा **(General House)** का आयोजन करने तथा सामान्य सभा में समस्त अभिभावकों की सहमति से आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए प्रस्तावित फीस व फण्ड के बारे विचार विमर्श करने व सामान्य सभा में लिये गये निर्णय के अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित फीस व फण्ड का पूर्ण विवरण **(Break-up)** सहित कक्षा बार पुस्तकों की सूची अभिभावकों की सूविधा हेतु स्पष्ट शब्दों में स्कूल के नोटिस बोर्ड व वैबसाईट पर प्रदर्शित करने के आदेश जारी करें।
2. समस्त निजी स्कूलों को बिना उचित अनुमति के स्कूलों में किताबे, कापियॉं, बर्दी व जूते आदि न बेचने तथा किसी चिन्हित दुकान से अभिभावकों को किताबे, कापियॉं, बर्दी व जूते आदि खरीदने पर बाध्य न करने के आदेश जारी करे।
3. किसी भी स्कूल द्वारा छात्रों को स्कूल के प्रतिक चिन्ह **(Logo)** वाली किताबें/कापियॉं लेने के लिए बाध्य न किया जाये।
4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार पाठशाला प्रबन्धन द्वारा छात्रों से भवन निधि, विकास निधि व अवसंरचना निधि **(Building fund, Development fund & infrastructure fund)** न बसुली जाये।
5. शैक्षणिक सत्र 2019—20 में लिये गये फीस व फण्ड सहित सामान्य सभा में आगामी शैक्षणिक सत्र **(2020-21)** के लिए निर्धारित फीस व फण्ड (मासिक व वार्षिक) का कक्षा बार विवरण सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव की प्रति सहित विभाग को प्रेषित करें।

उक्त सन्दर्भ में आपको निर्देश दिये जाते है कि आप समस्त निजी स्कूल प्रमुखों को उक्त निर्देशो का पालन करने व समस्त निजी स्कूलों से अनुपालना रिपोर्ट आपके कार्यालय को प्रेषित करने के आदेश जारी करे तथा स्कूलो से प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट समेकित रूप में शीघ्र—अतिशीघ्र इस निदेशालय को प्रेषित करें। उपरौक्त निर्देशो का पालन न करने के सन्दर्भ में भविष्य में जिन स्कूलों के विरूद्व अधोहस्ताक्षरी को शिकायत प्राप्त होगी उन स्कूलों के विरूद्व अधिनियम 1997 व नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए विभाग द्वारा जारी किये गये अनापति प्रमाण पत्र को रद्द किया जा सकता है। जिसके लिए स्कूल प्रबन्धन स्वयं जिम्मेवार होगा।

निदेशक (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याः सम् दिनांकः शिमला— 171001, 18 जनवरी, 2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित हैः

1. प्रधान सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. समस्त निजी स्कूल प्रमुखों/प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापकों को निर्देश दिये जाते है कि उक्त निर्देशो का कडाई से पालन करे तथा अनुपालना रिपोर्ट आगामी सत्र आरम्भ होने से पूर्व सम्बन्धित जिला के उप निदेशक (उच्चतर शिक्षा) को प्रेषित करे।
3. अधीक्षक कम्पयूटर शाखा, शिक्षा निदेशालय को विभागिय बेव—साईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षक नस्ति ।

निदेशक (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश।